

**न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर**  
**पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.**  
**राजस्व वाद संख्या : 211/22 (वाद) पुराने प्रकरण सं. 63/04**  
**GCMS No. : 2022/533**

**अनवान**

1. श्री अम्बालाल पिता लच्छीराम ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।

.....वादी

**बनाम्**

- 1/1 श्री मदनलाल पिता श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 1/2 श्रीमती गीता पुत्री श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 1/3 श्री जमनाशंकर पिता श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 1/4 श्री सुरेश पिता श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 1/5 श्री भगवतीलाल पिता श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 2 श्री तुलसीराम पिता लेहरीलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/1 मु. बसन्तीबाई बेवा स्व. भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/2 श्री कैलाश पिता स्व. भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/3 श्रीमती तुलसीबाई पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी गिरधारीलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/4 श्रीमती लालीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी भंवानीशंकर ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/5 श्रीमती बबली पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी शांतिलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/6 श्रीमती प्रेम पुत्री भंवरलाल पत्नी गोपाललाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 4/1 श्री पुर्णाशंकर पिता स्व. मांगीलाल पालीवाल निवासी ओरडी तह. मावली।
- 4/2 श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्व. मांगीलाल पालीवाल निवासी ओरडी तह. मावली।
- 5/1 श्री लक्ष्मीलाल पिता स्व. झालुराम ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 6 श्रीमती भागवन्ती पत्नी भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 7 श्रीमती रकमा पत्नी केशुलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/1 श्रीमती प्रताबीबाई पत्नी डालचन्द ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/2 श्रीमती कैलाशीबाई पत्नी भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/3 श्री नाथुलाल पिता डालचन्द ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/4 श्री भगवतीलाल पिता डालचन्द ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/5 श्री हेमेन्द्र पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 9 श्री राजकुमार पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 10 श्रीमती घीसीबाई बेवा गोविन्दराम ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 11 श्रीमती पुष्पा पत्नी जीतमल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 12 श्रीमती लीला पत्नी नाथुलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।



13 श्रीमती बबली पत्नी जमनाशंकर ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।  
.....प्रतिवादीगण

उपस्थित-1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता वादी।

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय

दिनांक : 04.04.2023

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डबोक तह. मावली के आराजी नम्बर 3277 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 3278 रकबा 8 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3759/3278 रकबा 8 बिस्वा हैं। वर्तमान में आराजी नम्बर 3277 आधा बीघा एक बिस्वा मुझ वादी अम्बालाल व प्रतिवादी सं. 8 डालचन्द व प्रतिवादी सं. 9 से 13 के पिता गोविन्दराम के नाम अंकित हैं एवं आराजी नम्बर 3278 आठ बिस्वा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्से अनुसार अंकित है एवं इसी अनुसार आराजी नम्बर 3759/3278 आठ बिस्वा प्रतिवादी सं. 3 से 7 के नाम पर तथा डोलीबाई बेवा हेमराज के नाम पर अंकित है। परन्तु डोलीबाई का स्वर्गवास हो चुका है। पूर्व में यह कुलिया आराजीयात हम वादी व प्रतिवादीगण के मौरूस लच्छीराम, हमेराज, लेहरीलाल पिता काना ब्राह्मण निवासी ओरडी के नाम दर्ज थी जिसका इन तीनों ने आपस में करीबन 35 साल पहले आपसी बंटवाडा कर लिया और आराजी नम्बर 3278 आठ बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3759/3278 रकबा पाव बीघा तीन बिस्वा दोनों आराजी मुझ वादी के पिता के रखी तथा आराजी नम्बर 3277 आधा बीघा एक बिस्वा लेहरीलाल व हेमराज जी के रखी जो प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता है तब से मौके पर उक्त आराजीयात पर कब्जा स्वतंत्र रूप से चला आ रहा है। मेरे पिताजी के कब्जे में आई आराजी नम्बर 3278 व 3759/3278 उन्होंने अपने जीवनकाल में ही करीबन 30 साल पहले से इन आराजीयात पर अकेला मुझ वादी का ही शांतिपूर्वक अधिकार सहित खुलमखुल्ला कब्जा चला आ रहा है मैंने इस जमीन को काफी आवादान की है तथा दोनों आराजीयात का मौके पर एक ही चक है। मैं इस जमीन पर दोनों फसल ले रहा हूं और इसी तरह आराजी नम्बर 3277 आधा बीघा एक बिस्वा पर लेहरीलाल और हेमराजजी का कब्जा रहा है, उन्होंने उक्त जमीन को खेती योग्य नहीं बनाकर बैसे ही पडी रखी उसमें बबूल के वृक्ष लगे हुए है। लेहरीलाल व हेमराज के मरने के बाद

इस जमीन पर कब्जा प्रतिवादी सं. 1 से 7 तक का चला आ रहा है और उन्होंने करीबन 17-18 पेड बबूल के काटकर ले गये हैं।

2. यह कि गलती से विभाजन करते समय आराजी नम्बर 3278, 3759/3278 जो मुझ वादी के कब्जे में चली आ रही थी वह आराजी गलती से प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता के नाम दर्ज हो गयी एवं आराजी नम्बर 3277 मेरे पिताजी के नाम पर दर्ज हो गयी और उनके मरने के बाद मुझ वादी व मेरे भाई डालचन्द व गोविन्दराम के नाम दर्ज हो गयी। गोविन्दरामजी भी मर गये है उनके वारिस प्रतिवादी नों से तेरह हैं। इस तरह लेहरीलाल के स्वर्गवास पश्चात् आराजी नम्बर 3278, श्यामलाल तुलसीराम के नाम 1/2 हिस्से से व आराजी नम्बर 3759/3278 हेमराज के मरने पश्चात् प्रतिवादी सं. 3 से 7 के नाम दर्ज गयी हैं। आराजी नम्बर 3278, 3759/3278 पर कब्जा 30-32 वर्ष से लगातार मुझ वादी का ही चला आ रहा है लेकिन उक्त आराजीयात रेकार्ड में उलट पुलट दर्ज होने से अब प्रतिवादी सं. 1 से 7 तक की नियत में फर्क आ गया है और चूंकि मैने अपने कब्जे की आराजीयात में काफी रूपया खर्च कर उपजाऊ बनाई है, अभी भी मैने खेतों की हकाई करवाई है तथा दस ट्रेक्टर खाद डाला है गलती से यह आराजीयात रेकार्ड में उनके नाम दर्ज होने से जोर जबरदस्ती से अनाधिकार पूर्वक मेरे कब्जेसुदा आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है एवं अनाधिकार रूप से मेरी कब्जेसुदा आराजीयात में प्रवेश कर मुझे बेदखल करना चाह रहे है तथा ऐलानिया यह धमकी दी है कि हम हमारे खाते की जमीन लेकर रहेंगे जबकि उनका कब्जा आराजी नम्बर 3277 पर है जो हमारे खाते हैं। जिस पर उनका कब्जा है वह जमीन उपजाऊ है व आवादान नहीं की है लेकिन रेकार्ड की गलती से प्रतिवादी नम्बर 1 से 7 के नाम दर्ज होने से कल दिनांक 03.06.2004 को जोर जबरदस्ती से अनाधिकार पूर्वक कब्जा करने की चेष्टा से व एलानिया धमकी दी कि फसल हम बो देंगे इसलिए मैं वादी अपने कब्जे की आराजीयात नम्बर 3278, 3759/3278 अपने खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी हो गया हूं व प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि मेरे कब्जे की आराजी नम्बर 3278, 3759/3278 में अनाधिकार प्रवेश नहीं करे न कब्जा करने की कोशिश करे और इस आराजीयात को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे और शांतिपूर्वक मुझ वादी को उक्त आराजीयात पर काश्त करने देवे इसमें

किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें।

3. यह कि चूंकि आराजी नम्बर 3278, 3759/3278 पर मेरा कब्जा गत 32 वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है इसलिए भी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी इस जमीन का मालिक हो गया हूं इसलिए भी खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं। आराजी नम्बर 3277 आधा बीघा एक बिस्वा जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 7 के कब्जे में चली आ रही है परन्तु गलती से मुझ वादी एवं डालचन्द एवं गोविन्दराम के नाम दर्ज है वह इनके नाम पर दर्ज कर दी जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि आराजी नम्बर 3277 वर्तमान में डालचन्द व गोविन्दराम के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।
4. मुझ वादी का प्राइमाफेसी केस है क्योंकि आराजी नम्बर 3278 एवं 3759/3278 पर मुझ वादी का अपने पिताजी के जीवनकाल से ही लगातार निरन्तर गत 32 वर्षों से चली आ रही है और मुझ वादी ने उक्त आराजीयात को उपजाऊ बनाने में काफी श्रम व लागत लगाई है और एडवर्स पजेशन के आधार पर भी गत 32 वर्षों से मेरा कब्जा होने से उक्त आराजीयात को मैं वादी अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से घोषणा करवाने का अधिकारी हूं, सुविधा संतुलन भी मुझ वादी के पक्ष में है क्योंकि उक्त आराजीयात पर गत 32 वर्षों से मैं वादी काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं और प्रतिवर्ष फसल बो व काट रहा हूं और यदि प्रतिवादीगण जबरन कानूनन अपने हाथ में लेकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय कर देंगे तो इससे जो क्षति मुझ वादी को होगी उसका मुआवजा रूपयों पैसों में दिलाया जाना असंभव है और स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी।
5. मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण दिनांक 03.06.2004 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण जबरन मेरे कब्जेसुदा आराजीयात पर कब्जा करने पर उतारू हुए व एलानिया धमकी दी कि वो उक्त आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय कर देंगे उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
6. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि आराजी नम्बर 3278 व 3759/3278 कुल रकबा 16 बिस्वा की मुझ वादी के नाम पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से घोषणा

फरमाई जाकर उक्त आराजीयात को खातेदार काश्तकार की हैसियत से मेरे नाम पर दर्ज फरमाई जावे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वो आराजी नम्बर 3278, 3759/3278 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे न कब्जा करे और न किसी अन्य को विक्रय करे और उक्त आराजीयात पर मुझ वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करें न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करवावें। अन्य सहायता जिस वादी कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी हो वो प्रदान की जावे व वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

7. पत्रावली के पुराने नम्बर 63/04 वाद अम्बालाल बनाम श्यामलाल निर्णय दिनांक 08.01.2020 से स्वीकार की गई थी, जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के प्रकरण संख्या 32/20 अम्बालाल बनाम मदनलाल निर्णय दिनांक 17.10.22 से अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित कर पुनः सुनवाई किये जाने का निर्णय पारित किया गया था। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.10.2022 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
8. वादी द्वारा वाद के समर्थन में पूर्व में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू-1 श्री अम्बालाल, पी.डब्ल्यू-2 श्री मोहनलाल, पी.डब्ल्यू-3 श्री भगवतीलाल के पेश किये। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 2, मिलान खसरा प्रदर्श 3, खसरा परिशोधन प्रदर्श 4 पेश किये।
9. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार कर माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के निर्णयानुसार न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 08.01.2020 से "5 बिस्वा भूमि का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क वादी से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के पश्चात् डिक्री की पालना की जावे।" का अंकन हटाये जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि पूर्व में लच्छीराम, हेमराज व लहरीलाल पिता काना के नाम पर दर्ज थी जो प्रदर्श 4 से स्पष्ट हैं। वादग्रस्त भूमि आपसी बंटवाडे से कब्जे के आधार पर लच्छीराम, हेमराज व लहरीलाल के मध्य विभाजित होकर बंटवाडा के दौरान अलग-अलग की गई। आपस में पांती बंटवाडे से 35 वर्ष पहले आराजी नम्बर 3278 व 3759/3278 भूमि वादी के पिता लच्छीराम एवं आराजी नम्बर 3277 लेहरीलाल व हेमराज जी के रखी जाने का कथन किया है। कब्जेनुसार भूमि पर 30 साल से वादी काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करने का कथन किया है।
11. वादग्रस्त भूमि विभाजन करते समय आराजी नम्बर 3278 व 3759/3278 भूमि गलती से प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता के नाम एवं आराजी नम्बर 3277 वादी के पिता के नाम दर्ज हो जाने का कथन किया है। वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 3 पेश किया, जिसमें आराजी नम्बर 3278 रकबा 11 बिस्वा पर कृषक के रूप में वादी के पिता लच्छीराम का नाम अंकित है। इससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 3278 पर वादी के पिता का कब्जा चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडे का दस्तावेज खसरा परिशोधन पत्र प्रदर्श 4 प्रस्तुत किया, जिसमें कॉलम सं. 7 में भाईयों के बीच कब्जे के आधार पर बंटवाडा किया जाने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है।
12. सेहवन से बंटवाडा प्रस्ताव के दौरान वादी के कब्जे वाली भूमि आराजी नम्बर 3278 लहरीलाल के नाम पर दर्ज हो गया है जो लहरीलाल की मृत्यु के बाद उनके वारिसों के नाम दर्ज हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में गवाहों द्वारा भी 3278 के दोनों टुकडो पर वादी का कब्जा होकर वादी द्वारा खेती करना बताया है। चूंकि अराजी नम्बर 3277 पर वर्तमान में प्रतिवादीगण का कब्जा है एवं आराजी नम्बर 3278 व 3759/3278 पर वादी का कब्जा होने का तथ्य स्पष्ट जाहिर होता है।
13. चूंकि विभाजन के दौरान ही सेहवन से आराजी नम्बर का गलत अंकन हो गया है जबकि वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। इसीलिए कब्जे के आधार पर आराजीयात को आपस में संशोधन करना न्यायहित में उचित है। राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 3277 का रकबा 11 बिस्वा है एवं आराजी नम्बर 3278 का रकबा 8 बिस्वा एवं 3759/3278 का रकबा 8 बिस्वा अंकित

हैं। इसलिए आपस में आराजीयात के संशोधन से राजस्व रेकार्ड में वादी का रकबा 11 बिस्वा के बजाय 16 बिस्वा दर्ज होना हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आराजी नम्बर 3278 व 3759/3278 पर वादी का कब्जा होने से वादी के नाम भूमि दर्ज किया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

### —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 3278 रकबा 8 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3759/3278 रकबा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण के बजाय कब्जे के आधार पर वादी के नाम दर्ज की जावें। आराजी नम्बर 3277 रकबा 11 बिस्वा भूमि वादी के बजाय प्रतिवादी श्यामलाल, तुलसीराम एवं हेमराज के वारिसों के नाम दर्ज की जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

## डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली  
बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री अम्बालाल पिता लच्छीराम ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।

.....वादी

### बनाम्

- 1/1 श्री मदनलाल पिता श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 1/2 श्रीमती गीता पुत्री श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 1/3 श्री जमनाशंकर पिता श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 1/4 श्री सुरेश पिता श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 1/5 श्री भगवतीलाल पिता श्यामलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 2 श्री तुलसीराम पिता लेहरीलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/1 मु. बसन्तीबाई बेवा स्व. भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/2 श्री कैलाश पिता स्व. भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/3 श्रीमती तुलसीबाई पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी गिरधारीलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/4 श्रीमती लालीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी भंवानीशंकर ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/5 श्रीमती बबली पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी शांतिलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 3/6 श्रीमती प्रेम पुत्री भंवरलाल पत्नी गोपाललाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 4/1 श्री पुर्णाशंकर पिता स्व. मांगीलाल पालीवाल निवासी ओरडी तह. मावली।
- 4/2 श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्व. मांगीलाल पालीवाल निवासी ओरडी तह. मावली।
- 5/1 श्री लक्ष्मीलाल पिता स्व. झालुराम ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 6 श्रीमती भागवन्ती पत्नी भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 7 श्रीमती रकमा पत्नी केशुलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/1 श्रीमती प्रताबीबाई पत्नी डालचन्द ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/2 श्रीमती कैलाशीबाई पत्नी भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/3 श्री नाथुलाल पिता डालचन्द ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/4 श्री भगवतीलाल पिता डालचन्द ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 8/5 श्री हेमेन्द्र पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 9 श्री राजकुमार पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 10 श्रीमती घीसीबाई बेवा गोविन्दराम ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 11 श्रीमती पुष्पा पत्नी जीतमल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।
- 12 श्रीमती लीला पत्नी नाथुलाल ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।

13 श्रीमती बबली पत्नी जमनाशंकर ब्राह्मण निवासी ओरडी तह. मावली।  
.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम**  
**मुकदमा न0 : 211/22 (वाद) पुराने नम्बर : 63/04**  
**GCMS No. : 2022/533**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 3278 रकबा 8 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3759/3278 रकबा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण के बजाय कब्जे के आधार पर वादी के नाम दर्ज की जावें। आराजी नम्बर 3277 रकबा 11 बिस्वा भूमि वादी के बजाय प्रतिवादी श्यामलाल, तुलसीराम एवं हेमराज के वारिसों के नाम दर्ज की जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.04.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली